प्रेस नोट ***11/11/2024***

जिलाबदर एक अभियुक्त गिरफ्तार–

दिनांक 10.11.2024 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा जिलाबदर के आदेश की अवहेलना करने वाला एक अभियुक्त को कसाबा सरकारी ट्यूबेल पठान टोला के पास से अभियुक्त जियाउल हक पुत्र इनामुल हक निवासी पठान टोला थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ को गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 374/24 धारा 10 उ0प्र0 गुण्डा अधिनियम 1970 का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

थाना सरायलखन्सी साइबर पुलिस टीम द्वारा आनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर ठगी गयी कुल धनराशि 45000 रुपये वापस कराया गया–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना सरायलखन्सी साइबर पुलिस टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुए आनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर ठगी की शिकार पीडिता दीक्षा राय पुत्री उपेन्द्र कुमार राय निवासिनी चोरपा खुर्द हथिना थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ के कुल 45000 हजार रुपये की कुल धनराशि को पीडिता के खाते में पुनः वापस कराया गया। आवेदिका द्वारा मऊ पुलिस को आभार व्यक्त किया गया। साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरुक रहकर ही साइबर फॉड से बचा जा सकता है।

बरामदकर्ता पुलिस टीम–

प्रभारी निरीक्षक श्री राजकुमार सिंह थाना सरायलखन्सी, नि0अपराध श्री हरेन्द्र सिंह, क0आ0 नितेश तिवारी, म0आ0 शिखा तिवारी थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।